न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद स० : 110 सन 2018

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ढाणी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 नत्थू खां 2. युसुफ खा 3. सलीम खां 4. हबीबी खां 5. मोहम्मद अजीज पि0 मुन्शीराम जाति मुसलमान निवासीगण नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार हक खाता विभाजन अन्तर्गत 88 ,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खाते की रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1 की 2.8450हैक्ट भूमि जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 5/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 27.04.2017 को असलम खा से खरीदी थी मुताबिक कब्जा काश्त रकबा में दक्षिणी तरफ का 1/6 हिस्सा जिस पर असलम खां काबिज था उसका वादी खरीद शुद्दा खातेदार काश्तकार हो गया था।

वादी खरीद के वक्त से लगतार उक्त भूमि पर काबिज है तथा अपनी अलग से सीव डोल कायम कर रखी है लेकिन भूमि शामिल खाते की होने के कारण हमेशा सीव व लगान का झगडा रहता है इसलिये वादी खसरा न0 1 में दक्षिणी तरफ मुताबिक कब्जा काश्त खसरा न0 1/1 हिस्सा 0.4741हैक भूमि का खाता व लगान अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने हेतु कई बार कहा कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये वादी ने यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1 की 2.8450हैक में से वादी के हिस्सा की 1/6 हिस्सा भूमि अर्थात0.4717हैक भूमि खसरा न0 1 की दक्षिणी तरफ की का वादी खातेदार काश्तकार है का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 1 ता 5 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार " 2018 मे वादी का वाद काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया कि रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1 की 2.8450हैक्ट भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार अच्छी मे से अच्छी माडी में से माडी भूमि के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक 5501 दिनांक 12.11 2018 को आदेशानुसार/निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान अलग अलग किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1 की 2.8450हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम सयुक्त खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग– अलग कायम करवा पाने के अधिकारी है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग करने के प्रस्ताव तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत किये गये है जिस पर वादी पूर्णत्या सहमत है एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग कायम करने हेतु निवेदन किया गया है। वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव दिनांक12.11.2018 पर सहमत होने के कारण वाद वादी मुताबिक तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिल अन्तिम डिक्री है।

अतः वाद वादी मुताबिक तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.11.2018 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि नत्थुखा युसफखा सलीमखा हबीबखा मोहम्मद ताज पि0 मुन्शीखां बहिब जाति मुसलमान निवासी नोहर खातेदार रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1/1 की 2.3708हैक बारानी एवं हरलाल पुत्र कासीराम जाति स्वामी निवासी ढाणी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर खातेदार रहन – पीएनबी शाखा नोहर मुर्त रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1/2 की 0.4742हैक बारानी भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अन्तिम पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

आज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र काशीराम जाति स्वामी निवासी ढाणी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ — वादी

बनाम

1. नत्थू खां 2. युसुफ खां 3. सलीम खां 4. हबीबी खां 5. मोहम्मद अजीज पि0 मुन्शीराम जाति मुसलमान निवासीगण नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 110 सन 2018 निर्णय दिनांक– 28/08/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीग तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है नत्थुखा युसफखा सलीमखा हबीबखा मोहम्मद ताज पि0 मुन्शीखां बहिब जाति मुसलमान निवासी नोहर खातेदार रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1/1 की 2.3708हैक बारानी एवं हरलाल पुत्र कासीराम जाति स्वामी निवासी ढाणी ब्रहाम्णवासी तहसील नोहर खातेदार रहन – पीएनबी शाखा नोहर मुर्त रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 1/2 की 0.4742हैक बारानी भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे। प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 100/– का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner